Page (1)

Date : / /
Page :

23/9/17 को मुकेश को अकेले जेल के अन्दर
हस्पताल मे बुलाकर ले गये करीब 11-12 बजे के
बीच ~~पहुंचे~~ । वहां समय देखने के लिए कोई सुविधा
तो नही है । तो डाक्टर ने पूछा कि क्या हुआ
है तो हमने बताया कि मुझे पुलिस वालो ने
मारा है। जिसका दर्द 3-7 दिन होने के बाद
भी नही गया। कही ऐसा ना हो कि हमारे
पैर मे छिद्र हो ना जाये । और पीठ मे भी
दर्द है । और पैर मे निशान अभी तक है। जब
हम जेल आये उसके दूसरे दिन मोलाहिजा
के लिए डाक्टर को अपना पैर दिखाया उस
समय बहुत सूजन फूल गया था और दर्द के मारे
अन्दर जो चीख निकल रही थी और सूजन
के कारण चप्पल पैर मे नही आ रहे थी
फिर भी वो डाक्टर हमारे बातो को
अनदेखा कर दिया था। लेकिन जेल के
अन्दर मे क्रोसिन और कोबिक्स एसिड की
गोली मिलती थी । जिससे बिल्कुल भी आराम
नही मिलता था फिर मैने गर्म पानी मे नमक
डालकर सिकाई की जिससे पैर का सूजन
कम हो गया । पर डाक्टरी इलाज का
उचित प्रबंध नही मिला । फिर हम 25/9/17
को जाकर डाक्टर से कहा कि सर कोई आराम
नही मिल रहा ~~यहां~~ की पहले वाली दवाई से तो इसके
बावजूद भी उसने फिर वही पहले वाली दवाई दी

अधिनियम (5) (6)

① धारा 1961 2001 के तहत उबच्चे पैदा करना कानूनन जुर्म है। Detail के लिए 26/9/2017 का पंजाब केसरी फ्रंट पेज पर जज के खिलाफ न्यूज लगा है।

इस केस में ① बर्खास्त जज का नाम मनोज कुमार (ए.डी.जे.) है।

② अख्तर अली " है।

Page-(2)

25/9/17 को डाक्टर ने इंजेक्शन की दवाई लिख दी। फिर हम अपने बैरक में आ गये। फिर 26/9/17 को सुबह 10:30 बजे बुलाकर हस्पताल ले गये। ओ.पी.डी के अन्दर चार-पांच लोग थे जिसमें कैदी भी थे। तो डाक्टर ने आपस में बात करते हुए कहा कि सिविल हस्पताल वालों ने (25/9/17) को डाक्टर ने फिट लिख दिया है तो मैं कैसे अन फिट लिख दूं और अन्दर (जेल) वालों ने भी लिख दिया है कि मैं पेशी ना अदालत में पड़ना चाहूंगा। इसलिए मैं भी फिट (FIT) का रिपोर्ट बना कर भेज देता हूं। फिर मुझे पैर को दिखाने को कहा। तो मैंने अपना चोट वाला पैर दिखा दिया। फिर मैं वहां से आ गया। फिर 2 बजे मुझे हस्पताल ले जाया गया। फिर डाक्टर ने अच्छी तरीके से देखा और दवाई तथा गरम पट्टी देकर पैर में बांधने को कहा। और आगे उन्होंने क्या रिपोर्ट बना कर दी फिट या अनफिट का इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता।